प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 808 / 2022

अनवान : –

1. संदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र वेद प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सरिता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. लक्ष्मी देवी पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 25/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 78/76 की कुल 5.3130है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 के नाम 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 53/51 की कुल 3.2890है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 100/100 की कुल 3.2890है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 व 1/3 हिस्सा भूमि वादी स0 2 के नाम दर्ज है।

वादीगण के दादा बलवन्त के दो पुत्र जिनमें प्रतिवादी स0 1 भूपसिंह पुत्र बलवन्त के एक पुत्र व एक पुत्री वादी स0 1 सन्दीप कुमार प्रतिवादी स0 2 सरिता हुई तथा वेद प्रकाश फौत होने के बाद वारिस प्रतिवादी स0 3 व वादी स0 2 हुए इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई कृषि भूमि है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा [illegible]ति–रिवाज से शासित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के स[illegible] [illegible]प्रतिवादीगण ने उक्त वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवा[illegible] स0 1 व 2 के नाम [illegible]समस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 3 व 4 ब0हि0ब0 काबिज है। प्रतिवादी स0 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में

28

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:26:55 IST
Reason: SelfAttested

कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 3 के बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 2 वादी स0 1 की बहिन व प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा अपने भाई से अत्यधिक स्नेह व मोह रखती है तथा प्रतिवादी स0 3 वादी स0 2 की माता है वह अपने पुत्र से काफी मोह रखती है इसलिए वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व बेटे के पक्ष में छोड़ दिया है प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह वादग्रस्त भूमि चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 78/78 की कुल 5.3130है0 भूमि में अपना हक अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा उनके अलग से चक 18 एनटीआर में कृषि भूमि है जो की उनके यथावत रहेगी।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 2, वादी स0 1 की बहिन व प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा अपने भाई से अत्यधिक स्नेह व मोह रखती है तथा प्रतिवादी स0 3 वादी स0 2 की माता है वह अपने पुत्र से काफी मोह रखती है इसलिए वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व बेटे के पक्ष में छोड़ दिया है प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादग्रस्त भूमि चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 78/78 की कुल 5.3130है0 भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह हक अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा उनके अलग से चक 18 एनटीआर में कृषि भूमि है जो की उनके यथावत रहेगी। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
3

हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 22/27 के खसरा न0 161 की कुल 14.4800है0 भूमि में से 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने जवाब इकबाल पेश किया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 78/76 की कुल 5.3130है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त वाद भूमि में 1/12 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज है में, प्रतिवादीया स0 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 53/51 की कुल 3.2890है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम खाता स0 100/100 की कुल 3.2890है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:26:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 808/2022
अनवान : –

1. संदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र वेद प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. सरिता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. लक्ष्मी देवी पत्नी वेद प्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 804 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 78/76 की कुल 5.3130है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त वाद भूमि में 1/12 हिस्सा प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज है में, प्रतिवादीया स0 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता स0 53/51 की कुल 3.2890है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम खाता स0 100/100 की कुल 3.2890है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:26:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका